



संख्या- 45/2023/2356-77-6-23-6099/138/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग निदेशालय, उ०प्र०,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रु.1200.00 करोड़ के सापेक्ष
रु.1051.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पत्र संख्या-1136/गीडा/अभि०नि०-6 दिनांक 27-06-2023, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्र संख्या-नोएडा/अ०मु०का०अ०(पीके)/2023/उ०म०प्र०(सि०)/414, दिनांक 26-06-2023 एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-अ०मु०का०अ०(ए०) विविध/2023/ SM(T)/1640, दिनांक 23-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी०एम० गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मद में प्राविधानित धनराशि रु.1200.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु.1051.87 करोड़ (रु. दस अरब इक्यावन करोड़ सत्तासी लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- परियोजनाओं एवं मांग की गई धनराशि का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	परियोजना	कार्यदायी संस्था/प्राधिकरण नाम	कुल परियोजना लागत (धनराशि) (करोड़ में)	केंद्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत वांछित धनराशि (2023-24) (धनराशि) (करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	Development of Industrial Sector 27, 28 (Bhagwanpur, Narkatha) including Plastic Park	GIDA	171.42	100.00
2.	Development of	GIDA	229.00	25.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	Infrastructure in sector 26			
3.	Construction of Elevated Corridor from Chilla regulator (Delhi) to MP-3 road (Noida) along Shahdara drain.	NOIDA	801.57	100.00
4.	Development of Parthala Chowk (Construction of Flyover on Master Plan Road No.-3 at Parthala Chowk) Noida	NOIDA	84.11	11.61
5.	Construction of Underpass by box pushing technology under Noida-Greater Noida Expressway at Ch. 2.36 Km., Noida.	NOIDA	99.34	24.00
6.	Construction of 5.50 Km. 6 Lane Elevated road over Junction No.-10, 11 & 12 near Barola & Bhangel and Sector-42, 48, 49, 47, 110 & 107 on DSC road) Noida	NOIDA	468.32	140.00
7	220/132/33 KV Electric Substation Jalpura Gr Noida & associated Transmission Lines	GNIDA	326.28	276.84
8	132/33 KV Electric Substation Ecotech-8 Gr Noida & associated Transmission Lines	GNIDA	163.70	151.10
9	220/132/33 KV Electric Substation Knowledge Park-5 Gr Noida & associated Transmission Lines	GNIDA	130.91	81.47
10	Upgradation of 220/132 KV Electric Substation RC Green into 400KV Substation Gr Noida & associated Transmission Lines (Metro Depot)	GNIDA	108.05	57.48
11	132/33 KV Electric Substation Ecotech-10 Gr Noida (Electronics Cluster) & associated Transmission Lines	GNIDA	58.97	47.19

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

12	Grant of 100MW Power from 400KV Substation Sector-123 Noida	GNIDA	40.00	20.00
13	Development of industrial Park at Ecotech-7 in Greater Noida	GNIDA	524.72	17.18
Total			3206.39	1051.87

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुदान संख्या-007 के अंतर्गत लेखा शीर्ष-4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य उद्योग 800- अन्य व्यय 0401-पीएम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रु.1200.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रु.1051.87करोड़ (रु. दस अरब इक्यावन करोड़ सत्तासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. उक्त धनराशि को आहरित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा को रु.125.00करोड़, रु.275.61करोड़ एवं रु.651.26करोड़ (कुल रु.1051.87करोड़) उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 तथा वित्त विभाग उ0प्र0शासन एवं समस्त संबंधित को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जाएगा एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाएगा।
6. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक/ अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि के व्यय का लेखा-जोखा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा/नोएडा/ग्रेटर नोएडा द्वारा रखा जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रु. 10,51,87,00,000 (रूपये दस अरब इक्यान करोड़ सत्तासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्ष-4875608000401 पी0एम0 गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अन्तर्गत आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य में धनराशि रु.1051.87 करोड़ (रु. दस अरब इक्यावन करोड़ सत्तासी लाख मात्र) के नामे डाला जाएगा।**

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-72X-2023524, दिनांक 22.08.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

संख्या-45/2023/2356(1)-77-6-23-6099/138/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
3. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उ०प्र०शासन।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
5. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पत्र संख्या-1136/गीडा/अभि०नि०-6 दिनांक 27-06-2023, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के पत्र संख्या-नोएडा/अ०मु०का०अ०(पीके)/2023/उ०म०प्र०(सि०)/414, दिनांक 26-06-2023 एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-अ०मु०का०अ०(ए०) विविध /2023/ SM(T)/1640, दिनांक 23-06-2023 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
9. नियोजन अनुभाग-1/4
10. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार मौर्य
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।